

न्यायालय तहसीलदार, गंगापुर सिटी जिला-गंगापुर सिटी

मु.नं. : 14 / 2024

तारीख रजू 20.05.2024

निर्णय दिनांक 12.06.2024

सरकार बनाम विश्राम मीना

-: निर्णय :-

पत्रावली पेश हुई । प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का उदेई कलां स ने एक रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की है कि विश्राम मीना पुत्र मखनलाल जाति मीना निवासी विजय नगर, मिर्जापुर तह0 गंगापुर सिटी ने ग्राम उदेई कलां के खसरा नं. 5459 में कुल रकबा 650 वर्गफीट किस्म गै0मु0 पाल पर संवत् 2081 में अनाधिकृत रूप से मकान बनाकर अवैध अतिचार किया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अतिक्रमी को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 का नोटिस जारी कर व्यक्तिगत सुनवाई व सबूत पेश करने का विधिवत् रूप से समुचित अवसर दिया गया।

नोटिस तामील होकर प्राप्त हुआ। गैरसायल द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर जवाब इस आशय पेश किया कि प्रार्थी को खसरा नंबर 5459 किस्म गै0मु0 पाल पर अनाधिकृत अतिक्रमण के संबंध में नोटिस जारी किया है। प्रार्थी का उक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई अनाधिकृत कब्जा नहीं है। प्रार्थी ख0नं0 5376 रकबा 0.44 है0 में स्थित भूखण्ड संख्या 19 क्रय किया था तथा उसी पर कब्जा काश्त है। जवाब शामिल पत्रावली किया गया।


उपस्थित पटवारी हल्का को सुना गया। उपस्थित पटवारी हल्का ने अतिक्रमण के संबंध में अपनी रिपोर्ट की रिकॉर्ड से ताईद की एवं जमाबंदी का अवलोकन कराया।

पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। गैरसायल द्वारा भी अपने जवाब में उक्त भूमि में कोई अतिक्रमण नहीं करना अवगत कराया है जबकि उपस्थित पटवारी हल्का ने अवगत कराया कि गैरसायल द्वारा ख0नं0 5459 किस्म गै0मु0 पाल में रकबा 650 वर्गफीट में मकान बनाकर अवैध रूप से अतिक्रमण कर लिया है तथा अतिचारी के विरुद्ध कार्यवाही की इस्तदुआ की। उभय पक्ष को सुना गया। गैरसायल का आराजी प्रश्नगत पर अतिचार प्रमाणित है। अतः गैरसायल को आराजी मुतनाजा से बेदखल किया जावे एवं इन पर लगान 1/- की 50 गुना शास्ति 50/-रूपये आरोपित की जाती है। पटवारी हल्का व गिरदावर वृत्त अतिचारित कब्जे को नियमानुसार हटवा कर, जब्त सामग्री को नीलाम करते हुये उक्त वाद आराजीयात से अतिक्रमी को बेदखल करते हुये पालना रिपोर्ट पृथक् से देवे। तहसील राजस्व लेखाकार एवं पटवारी हल्का से माँग कायमी करवाई जावे। गिरदावर वृत्त व पटवारी हल्का को पालनार्थ पृथक् से लिखा जावे। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 12.06.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

रजिस्टर 'घ' के पेज संख्या
पर रुपये 50/- की कायमी वर्ष
2024-25 की गई।

तहसील राजस्व लेखाकार


(सुधारानी मीना)
तहसीलदार
गंगापुर सिटी